न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 93/2002
GCMS NO. : 2002/00030

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. नौरतराम पुत्र भालाराम
2. कमला देवी पत्नी भालाराम
जातियान– कुमावत निवासीगण खेड़ा महाराजपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. चम्पा देवी पुत्री जोगाराम जाति कुमावत निवासी खेड़ा महाराजपुरा तहसील जैतारण।
2. शांति देवी पत्नी सुरेश कुमार
3. कुसुम देवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी फुलमाल तहसील जैतारण।
4. तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर जैतारण।
5. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 रेडविड ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा सेक्शन 151

तारीख रजू:–08.08.2002

उपस्थित:–
1. श्री भगवंती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **–दिनॉक:–31/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, रेडविड ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा सैक्शन 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा फुलमाल में वाके आराजी खसरा संख्या 519/450/488 कुल रकबा 04–00 बीघा किस्म बी.प्रथम कृषि भूमि स्थित है जिसके सायलान एकमात्र खातेदार है, एवं इसका शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। उक्त खसरा संख्या की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में तरमीम की हुई नही है, पूरा रकबा निम्न नम्बर है, उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में सायलान के हिस्से में गैरसायलान का कोई हक हिस्सा व अधिकार व कब्जा काश्त नही है, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 तक ही प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सायलान को उक्त आराजी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के पड़ौस निम्न प्रकार दर्शाए हुए है– 1. पूर्व में – चम्पा देवी, शांतिदेवी व कुसुमदेवी के हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है।
2. पश्चिम में– बेरा डाकोता वा[illegible](रास्ता) 3. उत्तर में– प्रेमराज ब्राह्मण की कृषि भूमि। 4. दक्षिण में– बे[illegible] का जाव व गौचर भूमि खेड़ा महाराजपुरा। उक्त पड़ौस के बीच [illegible] कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या नम्बर प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर एक में [illegible]ए हुए है। जिस[illegible] सायलान का पूर्वजो के समय से खातेदार काश्तकार है। एवं उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

सायलान के हिस्से की कृषि भूमि उक्त पाड़ोस के बीच उक्त खसरा संख्या की कृषि भूमि में नजरी नक्शे में मार्क हरे रंग से दर्शाया हुआ है। और गैरसायल चम्पा देवी के हिस्से की कृषि भूमि को नजरी नक्शे में मार्क पीले रंग से दर्शायी हुई है। विवादित कृषि भूमि का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो संशोधित प्रार्थना पत्र का एक भाग है। विवादित आराजी जहां सायलान का कब्जा काश्त है। और पैरा संख्या 2 में वर्णित पाड़ौस के बीच की कृषि भूमि में गैरसायला चम्पादेवी का कोई हक एवं अधिकार नही होते हुए भी दौराने दावा विचाराधीन होते हुए बिना बंटवाड़ा किए ही पूर्व में नजरी नक्शे में सायला के हिस्से की कृषि भूमि जो हरे रंग से दर्शायी थी। उसमें से आधी कृषि भूमि यानि कि 02-03 बीघा कृषि भूमि गैरसायल संख्या 2 शांतिदेवी व 3 कुसुमदेवी को जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड के दिनांक 20.05.2008 को बैचान कर दी। जो नजरी नक्शे में मार्क आसमानी रंग से हिस्सा दर्शाया हुआ है। जो यह बैचान प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होते हुए बैचान किया है, जो नल एण्ड वॉयड है, सायलान के हितो के विरूद्ध बेअसर है। उक्त बैचान को शून्य घोषित किया जावे। ऐसा बैचान गैरसायल चम्पादेवी को करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। इसलिए सायलान की तरफ से संशोधित प्रार्थना पत्र के साथ सायलान के हिस्से को नजरी नक्शे में मार्क हरे रंग से दर्शाए अनुसार राजस्व रेकर्ड में माफिक बंटवाड़ा के तरमीम करने हेतू यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। सायलान के हिस्से की कृषि भूमि जो नजरी नक्शे में मार्क हरे रंग से दर्शायी हुई है, सायलान हिस्से की कृषि भूमि के चिपते ही उत्तर दिशा में स्थित कृषि भूमि जो नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी हुई है, कानूनी नियमो को ताक में रखकर गैरसायल संख्या 1 ने गैरसायल संख्या 2 व 3 को बैचान की गई। जो गलत एवं शून्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित सायल की कृषि भूमि पर गैरसायल संख्या 1 से 3 तक लाठी के बल पर बेदखल नही करे और न ही कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करे। यदि ऐसा कर दिया तो सायलान अपने कानूनी हक हकूको से वंचित रह जायेगा। सायल कमालदेवी विधवा गरीब बेसहारा औरत है। एवं इसके आजीविका का साधन केवल मात्र यही है और मेहनत मजदूरी करके एवं अपने हिस्से की कृषि भूमि पर सावण फसल बोकर भरण पोषण करती है। इसके अलावा आजीविका का कोई साधन नही है, इसी हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण का हिस्सा मौके पर पत्थरगढी करके नक्शे में तरमीम किया जावे। गैरसायल की नियत में फर्क आ गया है, जबरदस्ती गैरसायलान मिलकर सायलान को अपने हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है, जो ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। सायलान ऐसा हरगिज नही करने देंगे। यदि सायलान को बेदखल कर दिया एवं कृषि कार्य के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न की और वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा करके किसी अन्य को बैचान करने गैरसायल कोशिश की तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। राजस्व रेकर्ड से एवं मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित है, सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति भी सायलान को हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही है। जिसमें मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। सायलान को खर्चे से जैरबार होना पड़ेगा। इसलिए सायलान की तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

से गैरसायलान के विरूद्ध बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने हेतू बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा व संशोधित प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरूद्ध पेश है, जो सायलान ऐसी दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी है। सायलान के हिस्से की कृषि भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी थी जो उत्तर दिशा का हिस्सा सायलान था, जो दावा विचाराधीन होते हुए भी गैरसायल चम्पादेवी ने गैरसायल शांतिदेवी व कुसुमदेवी को बैचान कर दिया जो ऐसा करने का कानूनी अधिकार गैरसायल चम्पादेवी को प्राप्त नही था। और दिनांक 20.05.2008 को बैचान रजिस्ट्री तकमील करवाने पर सायलान को पता चला फिर इसके बाद वकील गैरसायल द्वारा मौका रिपोर्ट लाने हेतू प्रार्थना पेश किया, और बहस के बाद न्यायालय से मौका रिपोर्ट लाने हेतू सर्वे कमिश्नर नायब तहसीलदार जैतारण को नियुक्त किया जो मौका रिपोर्ट पेश करने पर सायलान को पता चलने पर सायलान की तरफ से संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद बहस न्यायालय द्वारा आदेश होने के बाद यह संशोधित प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील ओमप्रकाश पंचारिया ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि सरहद मौजा फुलमाल में सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 519/540/488 रकबा 08-10 बीघा स्थित है, किन्तु मौके पर सायलान द्वारा बताये नक्शेनुसार काबिज नही है व न ही ट्रैस नक्शे में तरमीम है। सायलान द्वारा अपनी खातेदारी के खेत के पड़ौस भी गलत बताये है व सायलान उक्त भूमि को पूर्वजो से खातेदार होकर उपयोग उपभोग करने के कथन भी गलत है। जबकि सायलान को उक्त भूमि आंवटन हुई है। सायलान ने मौके की स्थिति से भिन्न नजरी नक्शा पेश किया है। उक्त भूमि गैरसायलान् द्वारा बताये नक्शेनुसार मौके पर चार भागों में बंटी हुई है। सायलान की भूमि को केसरिया रंग से व गैरसायल संख्या 1 की भूमि को आसमानी रंग से दर्शाया है तथा मौके पर पक्षकारान् के खेतो के बीच मांटे है। सायलान द्वारा बताये नक्शेनुसार हरे रंग की भूमि पर कब्जा काश्त नही है तथा न ही पीले रंग की भूमि पर गैरसायल संख्या 1 का कब्जा है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने हक हिस्से व कब्जे की भूमि तथा मौके पर बंटवाड़ा की गई भूमि को अपने लिए पारिवारिक प्रबन्ध हेतू रूपये की आवश्यकता होने पर उक्त खसरा संख्या की भूमि में से गैरसायल संख्या 2 व 3 को 02-03 बीघा भूमि का बैचान दिनांक 20.05.2008 को किया व मौके पर क्रेता को कब्जा दिया तथा बैचान किये गए भूमि के पड़ौस भी बैचान रजिस्ट्री में अंकित है। जो बैचान कानूनन विधि संगत है। जिसके [illegible] वेन्यु एजेंसी ने क्रेता गैरसायल संख्या 2 व 3 का नाम जमा[illegible] उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है इसलिए सायलान् उ[illegible] के विरूद्ध बंटवाड़ा करने के अधिकारी नही है। सायलान ने कृषि भूमि को नक्शे[illegible] बताये अनुसार पड़ौसियो के बीच की भूमि पर कब्जा नही है। उत्तरदाता गैरसायल के क्रय की गई भूमि के उत्तर में प्रेमराज की भूमि है, सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है तो फिर उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, [illegible] जिला-पाली

हक अधिकार वंचित होने के कथन गलत है। सायलान गैरसायल द्वारा बताये नक्शेनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का उत्तरदाता गैरसायल द्वारा बताये नक्शा व कब्जानुसार बंटवाड़ा करवाना चाहिए तो उत्तरदाता गैरसायल सहमत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में दर्ज कथन गलत है। गैरसायल संख्या 1 ने प्राथी संख्या 1 के पिता भालाराम से सन 1995 में उक्त भूमि क्रय की व मौके पर कब्जा दिया तब से लेकर आज दिन तक उत्तरदाता गैरसायलान द्वारा बताये नक्शेनुसार ही कब्जा काश्त है तथा गैरसायल संख्या 1 ने गैरसायल संख्या 2 व 3 को दिनांक 20.05.2008 को बैचान की व मौके पर जहां विक्रेता का कब्जा था वहां क्रेता को कब्जा दिया। तथा मौके पर क्रेता के खेत के चारो ओर तारबंदी है। बैचान करने से सायलान के कोई हक अधिकार वंचित नही हो रहे है। उत्तरदाता गैरसायलान् द्वारा क्रय की गई भूमि पर जो ऊबड़ खाबड़ थी। जिसे समतल किया व खाद बीज डालकर उपजाऊ किया व पेड़ पौधे लगाये इस प्रकार विकास में लाखो रूपये खर्च किए। सायलान् मौके की स्थिति से उत्तरदाता गैरसायलान के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद खातेदारान् को कोई आपत्ति हो तो नियम 18 से 21 के तहत कोई उत्तर ले सकते है। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा है तो फिर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नही है। जितनी भूमि जमाबंदी में दर्ज है। उस हिस्से की भूमि पर सायलान काबिज है तो फिर सायलान को कोई असीम हानि भी नही हो रही है। इसलिए सायलान उत्तरदाता गैरसायलान के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। सायलान के हक हिस्से की व नजरी नक्शे में हरे रंग की उत्तरी दिशा का हिस्सा सायलान का था ही नही तो फिर सायलान द्वारा गैरसायल संख्या 1 के लिए गैरसायल संख्या 2 व 3 को बैचान करने के कथन भी गलत अंकित किए है जबकि गैरसायल संख्या 1 ने अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा जहां वो काबिज थी। वो हिस्सा ही बैचान किया तथा क्रय की गई भूमि के उत्तर में प्रेमराज ब्राह्मण की भूमि है। जिसका पड़ौस भी बैचान रजिस्ट्री में सुरेश व जगदीश पुत्र प्रेमराज की भूमि है। जिससे भी साबित है की सायलान के कब्जे की भूमि का बैचान नही किया है। नायब तहसीलदार द्वारा जो न्यायालय में मौका रिपोर्ट पेश की तो सायलान से मिलीभगती कर गलत व मौके की स्थिति से भिन्न व अस्पष्ट पेश की जिससे उत्तरदाता गैरसायलान पाबन्द नही है, जबकि नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पूर्व भी सायलान द्वारा उक्त भूमि बाबत् तरमीम करने बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण को दिनांक 27.12.2005 को देने पर तत्कालीन रेवेन्यु एर्जेसी ने नक्शा ट्रेस में तरमीम करने बाबत् रिपोर्ट दिनांक 13. 01.2006 को पेश करने पर विवादित भूमि के मौके पर 4 टुकड़ो में विभाजित है। इसलिए कमला देवी के आवेदन के आधार पर 2 टुकड़ो में तरमीम की कार्यवाही संभव नही है। इस बाबत् राजस्व प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में लंबित है का प्रपत्र भी तहसीलदार जैतारण ने श्रीमान को पेश किया। इससे यह साबित हो जाता है कि नायब तहसीलदार जैतारण ने दिनांक 08.02.2009 को मौका फर्द व नजरी नक्शा विवादग्रस्त भूमि के बारे में रिपोर्ट दी जो स्वतः निरस्त होने योग्य है। उत्तरदाता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व ट्रैस नक्शा, जमाबंदी व श्रीमान एडीएम साहब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पाली के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकले पेश है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने हिस्से में से गैरसायल संख्या 2 व 3 को किया गया बैचान विधि संगत है तथा मौके पर कब्जा काश्त है तो फिर उपपंजीयन अधिकारी ने जो बैचान किया जो रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत किया इसलिए सायलान उत्तरदाता गैरसायलान के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। सरहद मौजा फूलमाल में स्थित खसरा संख्या 519/540/488 की भूमि की किस्त नदी है जो भूमि सायलान के पिता व पति को आंवटन हुई। आरटी एक्ट की धारा 2 के तहत आंवटित भूमि की किस्म नदी होने से कानूनन सायलान को कोई खातेदारी हक व अधिकार नही मिलते है जो आवंटन हुआ, जो प्रावधानो के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इस बाबत् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी स्पष्ट है। इस बाबत् तहसीलदार जैतारण ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र भी श्रीमान एडीएम कोर्ट पाली में कर दिया है, जो विचाराधीन है तथा इस बाबत् पक्षकारान् को नोटिस भी जारी हो रखे है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायलान न तो खातेदार है व नही कानूनन कब्जा है तथा न ही उन्हे कोई असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिए सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी कानूनन आरटीएक्ट की धारा 16(2) व वाद/ प्रार्थना पत्र भी विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नही है तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त योग्य है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम फुलमाल में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 519/450/488 रकबा 04-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने दावा बिना बंटवाड़ा करवाये 02-03 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड के दिनांक 20.05.2008 को बैचान कर दी। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो जैरकार है। अप्रार्थी संख्या 01 चम्पादेवी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा गलत है तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किया गया बैचान करने का कानूनन पूरा हक व अधिकार है। वादग्रस्त आराजी मौके पर बंटी हुई है लेकिन रिकॉर्ड में तरमीम नही है। तथा अप्रार्थी संख्या [illegible] के पिता व 02 के पति भालाराम से सन् 1995 में उक्त जमीन [illegible] थी। उसी के अनुसार मौके पर कब्जा एवं काश्त है। प्रार्थीगण [illegible] चाहते है तो अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रथम दृष्टया [illegible] प्रार्थीगण के हित में निहित नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब में कथन किया कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से कानूनन भूमि का सही क्रय किया है। तथा क्रेता द्वारा मौके पर भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कब्जा काश्त कर लिया है। खसरा संख्या 519/450/488 की भूमि की किस्म नदी है जो प्रार्थीगण के पिता व पति को आवंटित हुई अतः कानूनन उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। जिसके विरूद्ध रेफरेंस भी माननीय एडीएम कोर्ट पाली में विचाराधीन है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की मूल किस्म गै.मु. नदी है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियो की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमियो में कोई खातेदारी अधिकार सृजित हो ही नही सकते अतः वादग्रस्त आराजी में किसी भी पक्ष का प्रथम दृष्ट्या मामला निहित होना साबित नही हो सकता। अतः यह बिन्दू उभयपक्ष के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :– :– चुंकि पूर्व निर्णित बिन्दू संख्या 1 उभयपक्ष के विरूद्ध निर्णित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी की मूल किस्म गै.मु. नदी है जो प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है अतः उक्त भूमि में किसी भी पक्षकार के पक्ष में न तो सुविधा का संतुलन निहित हो सकता है तथा न ही किसी पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू उभयपक्ष के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नही होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:43 IST
Reason: SelfAttested